



मध्यप्रदेश राजापत्रा (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 638]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 13 दिसम्बर 2018—अग्रहायण 22, शक 1940

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 (अग्रहायण 22, 1940)

(1) क्रमांक 21826-म. प्र. वि. स.-विधान-18.—मध्यप्रदेश विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 (क्रमांक 8 सन् 1980) की धारा 13 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचना एतद्वारा प्रकाशित की जाती है:—

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) के अनुसार राज्यपाल द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा का विघटन किये जाने के फलस्वरूप श्री अजय सिंह, सदस्य विधान सभा, चतुर्दश मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रतिपक्ष के नेता के पद पर दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 से नहीं रहे।

(2) क्रमांक 21827-म. प्र. वि. स.-विधान-18.—मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 27 सन् 1972) की धारा 9 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचना एतद्वारा प्रकाशित की जाती है:—

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) के अनुसार राज्यपाल द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा का विघटन किये जाने के फलस्वरूप डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, मध्यप्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष के पद पर दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 से नहीं रहे।

पी. एन. विश्वकर्मा
अपर सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.